

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी / 2019 / 1934

दिनांक: 19/6/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- स्वाइन फ्लू रोग के उपचार हेतु आवश्यक दवा टेमीफ्लू के मांग पत्र भिजवाने के क्रम में।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आईडीएसपी / 2019 / 711 दिनांक 18.03.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर आपको आवश्यक गतिविधियां सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

इस क्रम में लेख है कि स्वाइन फ्लू रोग के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कटैगरी बी के रोगियों को घर पर आईसोलेशन करते हुए टेमीफ्लू दवा द्वारा उपचार किया जाता है। अतः आप सभी को भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की अनुपालना किया जाना आवश्यक है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है की ओपीडी में आने वाले संभावित स्वाइन फ्लू रोगियों (कटैगरी बी) के उपचार हेतु टेमीफ्लू की आवश्यकता होगी। अतः आप अपने जिले में टेमीफ्लू की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए दवा का मांग पत्र निदेशालय की ई मेल आई डी rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर दिनांक 24.06.2019 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा निर्धारित मांग पत्र नहीं भिजवाया जाता है तो यह माना जायेगा की आपको भविष्य में टेमीफ्लू की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डा० रवि प्रकाश शर्मा)
अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 19/6/19

क्रमांक: आईडीएसपी / 2019 / 1934

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन०स्वा०), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई-मेल व वेबसाईट पर अपलोड करने वारस्ते।
4. कार्यालय प्रति।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर